Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of c... of the O...
26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित। पक्षकारान द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 CPC सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। राजीनामा आदेश पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व मूलवाद :— 02/2018
जीसीएमएस नंबर :— 2018/00148

वादीगणः—

1. नारायणराम पुत्र श्री कालूराम
2. बस्ताराम पुत्र श्री कालूराम
3. जबराराम पुत्र श्री कालूराम
4. फुसाराम पुत्र श्री भीयाराम
5. जोराराम पुत्र श्री भीयाराम
   जाति जाट, निवासीगण— ग्राम रोहिला खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. राजुराम पुत्र खेताराम
2. बाबुराम पुत्र खेताराम
3. रूपाराम पुत्र खेताराम
4. घेवरराम पुत्र शिवराम
5. मृतक दोलाराम पुत्र शिवराम के कायम मुकाम
   5/1 तुलसी पत्नि दौलाराम
   5/2 श्रवणराम पुत्र दौलाराम
   5/3 मेना पुत्री दौलाराम
   5/4 मुकनाराम पुत्र दोलाराम
   5/5 दिनेश पुत्र दोलाराम
   5/6 सोनू पुत्री दोलाराम
6. गोरधनराम पुत्र शिवराम
7. सोहनराम पुत्र शिवराम
8. जमना पत्नी शिवराम
   जाति जाट, निवासीगण— ग्राम राहिला खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर।
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 03

सपठित धारा 151 सीपीसी वाद जरिये आपसी राजीनामा से निस्तारण कर तरमीम करवाने बाबत्।

निर्णय दिनांक 12/3/26

उपस्थिति :—

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर चौधरी उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता श्री रूपाराम चौधरी, महेन्द्र सिंह चौधरी, बी.एल.गौरा उपस्थित।

वादीगण की ओर से वाद अतंर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम व 136 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया गया जिसमें प्रार्थना व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी वाद जरिये आपसी राजीनामा से निस्तारण कर तरमीम करवाने बाबत् पेश कर निवेदन किया है कि जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि यह है कि वादीगण की ओर से वाद पेश कर कथन किया है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम रोहिला खुर्द, पटवार क्षेत्र रोहिला कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षै केरू तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 204 रकबा 09 बीघा कृषि भूमि आई है, जिसके वादीगण रेकर्डेड खातेदार है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की खातेदारी भूमि ग्राम रोहिला खुर्द पटवार क्षेत्र रोहिला कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र केरू, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 203 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि आई है, जिसके प्रतिवादी संख्या 01 से 07 रेकर्डेड खातेदार है। सेटलमेन्ट मे जहाँ वादीगण का खेत खसरा नंबर 204 है वहाँ प्रतिवादीगण का खेत खसरा नंबर 203 इन्द्राज हो गया है। अन्त मे वादीगण ने रेकार्ड दुरूस्ती किये जाने एंव स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया है कि वादपत्र का विरोध कर स्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष की मांग की गयी है। पत्रावली तनकीयात कायमी होनी थी, इस दौरान पक्षकारान के बीच राजीनामा हो गया है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 31.10.2025 को राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया गया है कि वादीगण की भूमि खसरा 204 रकबा 9 बीघा यानि क्षेत्रफल 1.4569 हेक्टयर, नक्शे मे कम क्षेत्रफल दर्शाया हुआ है। प्रतिवादीगण का खेत खसरा नंबर 203 रकबा 5.11 बीघा यानि क्षेत्रफल 0.8984 हेक्टयर नक्शे मे, ज्यादा क्षेत्रफल दर्शाया गया है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण आपस मे राजीनामा कर मोके पर काबिज रेकार्ड दुरूस्त करवाना चाहते है राजीनामा अनुसार निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के कथनो, राजीनामा प्रार्थनापत्र से कथन पर विचार करके राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 204 की जमाबन्दी मे रकबा 9 बीघा वक्त सैटलमेन्ट से इन्द्राज है और सैटलमेन्ट विभाग से जारी नक्शे मे इस खसरे का रकबा 17 बिस्वा 17 बिस्वांशी ही दर्शित हो रहा है, खसरा नंबर 203 की जमाबन्दी मे रकबा 5.11 बीघा वक्त सैटलमेन्ट से इन्द्राज है और सैटलमेन्ट विभाग से जारी नक्शे मे खसरा नंबर 203 का रकबा 13 बीघा 13बिस्वा 3 बिस्वांशी दर्शित हो रहा है। वादीगण के खातेदारी का रकबा 9 बीघा है लेकिन मौके अनुसार वादीगण रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा 9 बिस्वांशी की खातेदारी रखना चाहते है। प्रतिवादीगण के खातेदारी का रकबा 5.11 बीघा है इसी अनुसार मौके अनुसार प्रतिवादीगण रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा 11 बिस्वांशी की खातेदारी रखना चाहते है। पक्षकारान दर्ज व मौके अनुसार खातेदारी रकबा ही रखना चाहते है क्षेत्रफल को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। विवाद का मुख्य कारण सैटलमेन्ट विभाग से जारी नक्शा मे जमाबन्दी अनुसार दर्ज नहीं होने का शेष है सैटलमेन्ट विभाग से जारी नक्शे मे दुरूस्ती किया जाना उचित नहीं रहता है जमाबन्दी मे दुरूस्ती के विवाद को समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। जमाबन्दी मे इन्द्राज खसरा नंबर 204 का रकबा 9 बीघा वादीगण के नाम इन्द्राज है रकबा 9 बीघा के स्थान पर रकबा 17 बिस्वा 17

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

बिस्वांशी किया जाता है। जमाबन्दी मे इन्द्राज खसरा नंबर 203 का रकबा 5.11 बीघा प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज है खसरा नंबर 203 का रकबा 5.11 बीघा के स्थान पर 13 बीघा 13 बिस्वा 3 बिस्वांशी निर्धारित करते हुए वादीगण की खातेदारी में 8 बीघा 18 बिस्वा 9 बिस्वांशी एंव प्रतिवादीगण की खातेदारी मे 5 बीघा 12 बिस्वा 11 बिस्वांशी किया जाना उचित प्रतीत होता है। मौके पर पक्षकारान का अलग अलग कब्जा होकर सीमाये कायम है और राजीनामा के साथ पेश नजरी नक्शे अनुसार तरमीम रखना चाहते है उसी अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त प्रकरण में दोनो पक्षकारान् की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया गया है। ऐसी अवस्था में दोनो पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाता है। घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती करने को सहमत हैं जिसका एक नक्शा बनाया गया जो सलंग्न है जो इस निर्णय का अंग समझा जाएगा।

::— ओदश ::—

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रोहिला खुर्द तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नंबर 204 के दर्ज रकबा 9 बीघा के स्थान पर 17 बिस्वा 17 बिस्वांशी प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज किया जावे तथा खसरा नंबर 203 के दर्ज रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा 3 बिस्वांशी दर्ज कर रकबा , 13 बीघा 13 बिस्वा 3 बिस्वांशी मे से रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा 9 बिस्वांशी वादीगण के नाम और रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा 14 बिस्वांशी प्रतिवादीगण के नाम तहसीलदार, जोधपुर इन्द्राज करे। दोनों पक्षकारान् मौका अनुसार काबिज रहेंगें। राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा इस राजीनामा का भाग समझा जावेगा। अतः उपरोक्त राजीनामा अनुसार वादीगण वाद राजीनामा अनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को पालना किये जाने बाबत तहरीर जारी हो।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

निर्णय आज दिनांक 12/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर (उत्तर)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

डिकी डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल 3, 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर मुकाम जोधपुर व इजलास **प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)**

राजस्व मूलवाद :– 02/2018

जीसीएमएस नंबर :– 2018/00148

वादीगण:–

1. नारायणराम पुत्र श्री कालूराम
2. बस्ताराम पुत्र श्री कालूराम
3. जबराराम पुत्र श्री कालूराम
4. फुसाराम पुत्र श्री भीयाराम
5. जोराराम पुत्र श्री भीयाराम

जाति जाट, निवासीगण– ग्राम रोहिला खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजुराम पुत्र खेताराम
2. बाबुराम पुत्र खेताराम
3. रूपाराम पुत्र खेताराम
4. घेवरराम पुत्र शिवराम
5. मृतक दोलाराम पुत्र शिवराम के कायम मुकाम
   5/1 तुलसी पत्नि दौलाराम
   5/2 श्रवणराम पुत्र दौलाराम
   5/3 मेना पुत्री दौलाराम
   5/4 मुकनाराम पुत्र दोलाराम
   5/5 दिनेश पुत्र दोलाराम
   5/6 सोनू पुत्री दोलाराम
6. गोरधनराम पुत्र शिवराम
7. सोहनराम पुत्र शिवराम
8. जमना पत्नी शिवराम

   जाति जाट, निवासीगण– ग्राम राहिला खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर।
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, जोधपुर।

वाद् 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट. मुकदमा नम्बर 02/2018 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री बलवीर चौधरी व प्रतिवादीगण विद्वान अधिवक्ता श्री रूपाराम चौधरी, महेन्द्र सिंह चौधरी, बी.एल.गोरा हजारी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि:–उपरोक्त राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री पर्चा किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को राजस्व ग्राम रोहिला खुर्द तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नंबर 204 के दर्ज रकबा 9 बीघा के स्थान पर 17 बिस्वा 17 बिस्वांशी प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज किया जावे तथा खसरा नंबर 203 के दर्ज रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा 3 बिस्वांशी दर्ज कर रकबा , 13 बीघा 13 बिस्वा 3 बिस्वांशी मे से रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा 9 बिस्वांशी वादीगण के नाम और रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा 14 बिस्वांशी प्रतिवादीगण के नाम तहसीलदार, जोधपुर इन्द्राज

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

करे।

राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा इस राजीनामा का भाग समझा जावेगा।

लीज....x......मुबलिक......x....बाबत्.....x....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह.........ग....की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......x........को अदा करें।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

वसीब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख 12/3/26......... की जारी की गई।

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकिल		
खर्चा अह्वान्			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मतफरिक			मतफरिक		

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर (उत्तर)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner